



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15122025-268506  
CG-MH-E-15122025-268506

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5577]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947

No. 5577]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5772(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में नामित अधिकारियों को "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, विशेष रेलवे परियोजना के संबंध में "गुजरात राज्य में विशेष रेलवे परियोजना - पश्चिमी रेलवे पर अहमदाबाद डिवीजन के वायोर-लखपत वाया कोटेश्वर (66.70 किमी.) से नई ब्रॉड गेज लाइन, कॉलम (3) में उल्लिखित उप-डिवीजनों से संबंधित, उक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित जिलों से संबंधित, ऐसी विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड (तालुका)	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रांत अधिकारी- नखत्राणा	लखपत	कच्छ
2	प्रांत अधिकारी- अबडासा	अबडासा	

[फा. सं. E- 698930]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक -II

**MINISTRY OF RAILWAYS****(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th December, 2025

**S.O. 5772(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Special Railway Project in the state of Gujarat -New Broad Gauge line from Vayor- Lakhpat Via Koteswar (66.70 KM) of Ahmedabad Division on Western Railway, relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

**TABLE**

<b>S. No.</b>	<b>Competent Authority</b>	<b>Sub Division (Taluka)</b>	<b>District</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prant Officer- Nakhtrana	Lakhpat	Kutch
2	Prant Officer- Abdasa	Abdasa	

[F. No. E- 698930]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager-II